

न्यायालय भूमि उप समाहता , बुण्डू (राँची)
RM वाद संख्या-33 / 11-12
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

18/11/12

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता - अर्जुन पातर पिता-स्व० चुनु पातर
ग्राम-गोसाईं डीह पोस्ट+थाना-बुण्डू ,जिला-राँची ।

क्रेता का नाम एवं पता- सोमरा मुण्डा ,पिता-स्व० छोटिया मुण्डा
ग्राम-गोसाईं डीह पोस्ट+थाना-बुण्डू ,जिला-राँची ।

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री परमेश्वर महतो ।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30/09/11 को क्रेता सोमरा मुण्डा ,पिता-स्व० छोटिया मुण्डा के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है ।


भूमि का विवरण

<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना नं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>प्लॉट सं०</u>	<u>रकबा</u>
गोसाईं डीह	बुण्डू	13	88	318	0.20ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया ।

अंचल अधिकारी , बुण्डू के पत्रांक-529(II) दिनांक-30/11/11 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम चुनु पातर वो शीबु पातर है । पंजी- 11 के अनुसार रैयत का नाम चुनु पातर वगैरह है ।
- (ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 0.21 एकड़ भूमि शेष बच जाती है ।
- (ग) आवेदक को ईलाज हेतु कुल 4000/- (चार हजार रू०) प्रति डिंसमील की दर से कुल 84,000/- (चौरासी हजार रू०) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं ।
- (घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं । एवं एक ही थाना क्षेत्र बुण्डू के निवासी हैं ।



उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता अर्जुन पातर पिता-स्व0 चुनु पातर, ग्राम-गोसाईंडीह पोस्ट+थाना-बुण्डू, जिला-राँची को क्रेता सोमरा मुण्डा, पिता-स्व0 छोटिया मुण्डा, ग्राम-गोसाईंडीह पोस्ट+थाना-बुण्डू, जिला-राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-30/09/11 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

पुनः दिनांक-09/12/11 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा ईलाज हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता अर्जुन पातर पिता-स्व0 चुनु पातर, ग्राम-गोसाईंडीह पोस्ट+थाना-बुण्डू, जिला-राँची को क्रेता सोमरा मुण्डा, पिता-स्व0 छोटिया मुण्डा, ग्राम-गोसाईंडीह पोस्ट+थाना-बुण्डू, जिला-राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।


भूमि का वितरण

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गोसाईंडीह	बुण्डू	13	88	318	0.20ए०

लेखापति एवं संशोधित


18/1/12

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।


18/1/12

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।